



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222554
CG-DL-E-19102020-222554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3248]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942

No. 3248]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3663(अ).—केंद्र सरकार, एतद्वारा नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा-3 के उप-पैरा (2) के साथ पठित नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 19 दिसंबर, 2019 को सा.आ. 4609 (ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

2. उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 और 7 तथा इस संबंधित प्रविष्टियों के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, नामतः:-

“4. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा उनका नामिती”

“7. श्री पी. के. राणे, उप महाप्रबंधक (कर एवं अनुषंगिक), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी एसोसिएशन के प्रतिनिधि”

[फा. सं.एसटी-15013/1/2006-एमटी (एम.ए.) Vol.II]

सर्तिदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर, 2019 की संख्या का.आ. 4609 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SHIPPING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 3663(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966) read with sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping number *vide* **S.O. 4609 (E) dated the 19th December, 2019** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, for serial numbers 4 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall in particular be substituted, namely:-

"4. Additional Central Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation or his nominee".

"7. Shri P.K. Rane, Deputy General Manager (Tax & Allied), Shipping Corporation of India Ltd., Representative of Indian National Shipowners' Association"

[F. No. ST-15013/1/2006-MT(M.A.) Vol. II]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 4609(E) dated the 19th December, 2019.